

परीक्षा समिति की आकरिमक बैठक दिनांक 13/07/2018 की कार्यसूची

1	प्रो० विजय कृष्ण सिंह	कुलपति	अध्यक्ष
2	प्रो० एम०एन० शीवाल	प्रतिकुलपति	अध्यक्ष
3	प्रो० चित्तरंजन मिश्र	अधिष्ठाता, विधि संकाय	अध्यक्ष
4	प्रो० गोपी नाथ	अधिष्ठाता, वाणिज्य संकाय	अध्यक्ष
5	प्रो० हरिशरण	अधिष्ठाता, विज्ञान संकाय	अध्यक्ष
6	प्रो० एन०पी० शोक्ता	अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय	अध्यक्ष
7	प्रो० अशोक सिंह	अधिष्ठाता, कृषि संकाय	अध्यक्ष
8	प्रो० श्रीप्रकाश गणि त्रिपाठी	राजनीति शास्त्र विभाग	अध्यक्ष
9	डॉ० स्वयं प्रकाश लाल श्रीवास्तव	वरिष्ठ शिक्षक, वापू डिग्री कालेज, पी०जी० कालेज, गोरखपुर	अध्यक्ष
10	डॉ० श्री भगवान सिंह	वरिष्ठ शिक्षक, दिग्विजयनाथ पी०जी० कालेज, गोरखपुर	अध्यक्ष
11	प्रो० विनाय कुमार सिंह	अध्यक्ष, विश्वविद्यालय शिक्षक संघ	अध्यक्ष
12	प्रो० एम०एन० शर्मा	अध्यक्ष, गुआचटा	अध्यक्ष
13	प्रो० राजेशकर सिंह	अधिष्ठाता, छात्रकल्याण	अध्यक्ष
14	प्रो० विनाय कुमार सिंह	प्रभारी, ई०डी०पी० सल	अध्यक्ष
15	प्रो० अजय कुमार गुप्ता	पूर्व प्रभारी, ई०डी०पी० सल	अध्यक्ष
16	डॉ० अमरन्द कुमार सिंह	परीक्षा नियंत्रक	अध्यक्ष

**कार्यसूची-**

- (क) जिलाधिकारी कार्यालय, देवरिया के सूचनानुसार राम गुलाम राय पी०जी० कालेज, बनकटाशिव, गोरखपुर, देवरिया एवं बहादुर यादव मेमोरियल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नगर पंचायत गटबी, देवरिया में प्रकाशित नदीयन सामूहिक नकल कराने एवं एम०एन०एफ० द्वारा दर्ज करायी गयी प्राथमिक जांच के सम्बन्ध में इस दानों महाविद्यालयों के नकल सम्बन्धी इस प्रकरण के संदर्भ में विश्वविद्यालय स्तर पर जांच जांच एवं नियमानुसार अग्रेतर कारवाई हेतु माननीय कुलपति जी द्वारा गठित जांच समिति-

1. प्रो० चित्तरंजन मिश्र, अध्यक्ष, हिन्दी विभाग -संयोजक
2. प्रो० संजीत गुप्ता, वाणिज्य विभाग -अध्यक्ष
3. डॉ० उदय सिंह, शिक्षा शास्त्र विभाग -अध्यक्ष
4. परीक्षा नियंत्रक -अध्यक्ष

की संस्तुतियों पर विचार-

निर्णय: समिति ने सर्वसम्मति से गठित समिति द्वारा प्रस्तुत जांच आख्या/संस्तुतियों का मूल्य विचारोपरान्त स्वीकार किया तथा राम गुलाम राय पी०जी० कालेज, बनकटाशिव, गोरखपुर, देवरिया एवं बहादुर यादव मेमोरियल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नगर पंचायत गटबी, देवरिया को आगामी तीन वर्षों तक की विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने का निर्णय लिया।

- (ख) वार्षिक परीक्षा वर्ष-2018 के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा गठित उद्घाटक दलों की निर्माण के बन्धन सामूहिक नकल के प्रकरण के निस्तारण हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर गठित निगामीय समिति की संस्तुतियों पर विचार-

निर्णय: समिति ने विश्वविद्यालय द्वारा गठित उद्घाटक दलों एवं परीक्षकों द्वारा प्रस्तुत शिकायतों तथा सामूहिक नकल निस्तारण समितियों द्वारा प्रस्तुत संस्तुतियों को स्वीकार कर निम्नवत निर्णय लिया-

- (i) ऐसे प्रश्नपत्र जिनमें सामूहिक नकल का आरोप सिद्ध नहीं हुआ है उसको सामान्यतः महाविद्यालयों के परीक्षाफल घोषित कर दिये जाय।
- (ii) ऐसे प्रश्नपत्र जिनमें सामूहिक नकल का आरोप सिद्ध पाया गया है, इससे सम्बन्धित दलों के आरोप सिद्ध प्रश्नपत्रों के प्राप्तांक से, प्राप्तांक के 30 प्रतिशत अकों की कटौती कर परीक्षाफल घोषित कर दिया जाय।

साथ ही समिति ने यह भी निर्णय लिया गया कि इस वर्ष सामूहिक नकल में आरोप सिद्ध महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा हेतु आगामी परीक्षा वर्ष-2019 में परीक्षा केन्द्र न बनाया जाय।

- (iii) ओ०एम०आर० सम्बन्धित प्रश्नपत्रों में शिकायतों के सम्बन्ध में परीक्षार्थियों के प्राप्तांकों एवं प्राप्तांक के अन्तरों को दृष्टिगत रखते हुए आरोप भुक्त करने का निर्णय लिया गया।
- (iv) सामूहिक नकल में आरोप सिद्ध महाविद्यालय/परीक्षा केन्द्रों पर नियुक्त केन्द्राध्यक्षों को आगामी परीक्षा वर्ष-2019 में केन्द्राध्यक्ष न बनाया जाय।




# दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

- (ग) श्रीमन्म राय पुत्री श्री वृजभूषण राय से हिन्दू डिग्री कालेज जमानिया गोरखपुर से स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में प्रथम अंकसंकेत-793352, स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष-1986, अंकसंकेत-135403 से प्रथम संशोधन पत्र प्रस्तुत किया गया है कि सारणीयन पंजीक में पर पिता के नाम वृजभूषण राय का नाम अंकित किया गया है। साक्ष्य के रूप में हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, उच्च माध्यमिक स्कूल का प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं शपथपत्र संलग्न किया गया है। सारणीयन पंजीक में श्रीमन्म राय के पिता श्रीमन्म नारायण राय के स्थान पर वृजभूषण राय के नाम संशोधन पर विचार—

निर्णय— समिति ने विचारोपरान्त निर्णय लिया कि सारणीयन पंजीक में श्रीमन्म राय के पिता के नाम वशिष्ठ नारायण राय के स्थान पर वृजभूषण राय अंकित कर (संशोधन कर) अंकतालिका एवं उपाधि निर्गत कर दिया जाय।

- (घ) श्रीमती दीनानाथ गौरी पुत्री श्री दीनानाथ गौरी से आय प्रकाश महाविद्यालय काशी में स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष-2012 अंकसंकेत-501330033, श्रीमती दिवांगनी गौरी पुत्री अंकसंकेत-0063300276 एवं श्रीमती तृतीय वर्ष-2014, अंकसंकेत-7113300152 से प्रथम संशोधन पत्र प्रस्तुत किया गया है कि अंकतालिका/सारणीयन पंजीक में पर नाम श्रीमती अश्विनी से अंकित गया नाम श्रीमती दीनानाथ गौरी अंकित होना चाहिए। सारणीयन पंजीक में पर नाम का संशोधन कर अंकतालिका एवं उपाधि निर्गत किया जाय, साक्ष्य के रूप में हाई स्कूल एवं उच्च माध्यमिक स्कूल का प्रमाण पत्र आधार कर्डी आदि की छायाप्रति एवं शपथपत्र संलग्न किया है।

निर्णय— समिति ने विचारोपरान्त निर्णय लिया कि सारणीयन पंजीक में श्रीमती के स्थान पर श्रीमती दीनानाथ गौरी का नाम का संशोधन कर अंकतालिका एवं उपाधि निर्गत कर दिया जाय।

  
परीक्षा नियंत्रक

  
रजिस्ट्रार